16.09.2025:–पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र विड्रा हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त विड्रा किया जाकर उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़